संख्या-74/2020/184(1)/23-11-2019-1/2(56)/2019

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2020**

विषयः- जनपद मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा-रतुपुरा मार्ग से ताजपुर वाया पीपलगांव, खबडिया घाट, सेहल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई-42.300 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 2045नि0/111-01नि0/19-20, दिनांक 02-09-2019 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के उच्चीकरण योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा-रतुपुरा मार्ग से ताजपुर वाया पीपलगांव, खबडिया घाट, सेहल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई-42.300 कि0मी0) की आंकलित लागत रू0 4200.32 लाख (रूपये बयालिस करोड़ बत्तीस हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागत के सापेक्ष रू0 1680.00 लाख (रूपया सोलह करोड़ अस्सी लाख मात्र) व्यय हेतु निम्न विवरण तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58 का अंश	अनु0-83 का अंश	योग
1	मुरादाबाद, प्रा0ख0	ठाकुरद्वारा-रतुपुरा मार्ग से ताजपुर वाया पीपलगांव, खबडिया घाट, सेहल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई-42.300 कि0मी0)	4200.32 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय)	1323.67	356.33	1680.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियॉ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लागत में जी0एस0टी0 सम्मिलित थी, व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 के प्रतिभाग प्रतिशत को अनुमन्य नहीं करते हुए लागत आंकलित/अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्य मदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी। तदनुसार जी0एस0टी0 की लागत हेतु प्रायोजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(11) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरो के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रयोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(13) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का विभाग द्वारा पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लंबाई/चौडाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(15) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियेरन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के नये कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-281/दस-2020, दिनांक 11 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-74/2020/184(1)(1)/23-11-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल/जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल्।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in